प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 17.02.2026

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा 01 अभियुक्त को दी गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा"

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित किए जाने हेतु चलाए जा रहे #Operation Conviction अभियान के क्रम में जनपद सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण:-

थाना:- अनपरा, जनपद सोनभद्र।

मु0अ0सं0:- 85/21

धाराएं:- धारा 304 भादवि।

आरोपी:- महजू उरांव पुत्र स्व0 बिहारी निवासी पतरातू थाना लातेहार जिला लातेहार झारखण्ड, हाल पता बिछड़ी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दी गई सजा का विवरण:-

धारा 304 भादवि में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-

इस केस में थाना अनपरा पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया।